संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़
विभागाध्यक्ष कार्यालय
(ब्लॉक–ए, तृतीय तल), इंद्रावती भवन, रायपुर, छ.ग.

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2020/392 नवा रायपुर, दिनांक 21/07/2020

प्रति,

1. मेडिकल डायरेक्टर,
   बालको रायपुर, छ.ग.
2. मेडिकल डायरेक्टर,
   एम.एम.आई, रायपुर, छ.ग.
3. मेडिकल डायरेक्टर,
   अपोलो अस्पताल, बिलासपुर छ.ग.

विषय– निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के ईलाज किये जाने के बाबत्।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, राज्य में कोविड–19 के बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए राज्य के निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 से संक्रमित मरीजों का ईलाज किया जाना आवश्यक प्रतीत हो रहा है।

वर्तमान में आपके अस्पताल के द्वारा कोविड–19 का जांच किया जा रहा है। तत्संबंध में आपके अस्पताल में जांच उपरांत पाये गये कोविड–19 से संक्रमित मरीजों कों भर्ती कर स्वंय के व्यय पर ईलाज प्रदान करने हेतु आदेशित किया जाता है, साथ ही आवश्यक होने पर अन्य कोविड–19 से संक्रमित मरीजों को भी भर्ती कर ईलाज प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त ईलाज में होने वाले संपूर्ण व्यय का भुगतान मरीजों के द्वारा स्वयं किया जावेगा।

उक्त हेतु छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा आई.सी.एम.आर. द्वारा जारी गाइडलाईन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है, उक्त नियमों का पालन नही किये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

क्रमांक / अस्प.प्रशा. / 2020/393 नवा रायपुर, दिनांक 21/07/2020

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर।
3. कलेक्टर, जिला–बिलासपुर, रायपुर, छ.ग.।

संचालक,
स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

COVID-19पॉजिटिव मरीज़ों के उपचार हेतु निजी अस्पतालों के लिएदिशा-निर्देश

1. राज्य में संचालित निजी चिकित्सालयो मे COVID-19 पॉजिटिव मरीज़ों के उपचार हेतु आवेदन किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य मे निजी चिकित्सालयो को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा सहमति प्रदान की गई।
2. चिकित्सालयो मे ऐसे मरीजों की भर्ती की जावे जो निजी चिकित्सालयों में COVID-19 का उपचार चाहते हैं एवं उपचार का समस्त व्यय संबधित मरीज़ द्वारा ही वहन किया जावेगा।
3. निजी चिकित्सालयो में भर्ती होने के संबंध मे निर्णय मरीज़ तथा निजी अस्पताल प्रशासन के परस्पर सहमति के पश्चात ही होगा।
4. किसी भी लैब/ अस्पताल से COVID-19 जाँच में पॉजिटिव पाए गए मरीज की जानकारी सर्वप्रथम IDSP SSU को प्रदाय की जाये। Email: idspssucg@rediffmail.com.
5. हॉस्पिटल वर्टीकल द्वारा उक्त पॉजिटिव मरीज़ों को जिलावार अस्पतालों में उपचार हेतु मरीज़ों की सूची तैयार की जायेगी।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ जिला सर्विलेंस अधिकारी द्वारा मरीज़ के निवेदन के आधार पर निजी अस्पताल मे भर्ती किये जाने संबंधी जानकारी राज्य स्तर को प्रेषित करेंगे एवं राज्य स्तर से अस्पताल में भर्ती की सूची जारी की जावेगी।
7. मरीज़ को 108/ शासकीय/ निर्धारित एम्बुलेंस के माध्यम से उक्त निजी अस्पताल भेजा जावेगा एवं Hospital Allocation की जानकारी 1 घंटे के भीतर राज्य स्तर के निर्धारित Hospital Vertical को दी जानी होगी।
8. उक्त पॉजिटिव मरीज़ अथवा उनके परिजन द्वारा COVID-19 का उपचार निजी अस्पताल में कराये जानेके अनुरोध पर निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर कर सहमति ली जाये।
9. निजी अस्पताल में COVID-19 मरीज़ो की भर्ती प्रक्रिया तथा विभाग से समन्वय हेतु नोडल अधिकारी नामांकित किया जावेगा।
10. मरीज़ का Contact Tracing जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ ज़िला सर्विलेंस अधिकारी/ ज़िले के सर्विलेंस दल द्वारा किया जायेगा।
11. COVID-19 चिकित्सा हेतु अनुमति लेने वाले प्रत्येक निजी अस्पतालों को एक नोडल अधिकारी नामांकित करना होगा एवं प्रतिदिन दैनिक रिपोर्ट समय पर भेजने हेतु उत्तरदायी होंगे।
12. COVID-19 चिकित्सा हेतु अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों को प्रतिदिन COVID-19 उपचार हेतु भर्ती मरीज़ों की सूची, नए मरीज़ एवं डिस्चार्ज किये गये मरीज़ की अद्यतन स्थिति निर्धारित प्रपत्र में IDSP SSU/ राज्य स्तर के निर्धारित Hospital Vertical को प्रेषित किया जाना होगा।
13. COVID-19 चिकित्सा हेतु अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों द्वारा Infection Prevention हेतु ICMR/ राज्य शासन से जारी संक्रमणरोधी सभी दिशा-निर्देशों / SOP/ Protocol का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
14. किसी भी स्थिति में COVID-19 पॉजिटिव मरीज़ों को अन्य मरीज़ों से पृथक रखा जायेतथा अन्य मरीज़ एवं स्टाफ को COVID-19 संक्रमण से बचाया जाना होगा।
15. अस्पताल के अन्दर किसी स्टाफ पॉजिटिव पाए जाने पर संबंधित अस्पताल द्वारा Contact Tracing कर संबंधित ज़िले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित किया जाना होगा।
16. चिकित्सालय में कार्यरत समस्त चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ हेतु क्वारेंटीन की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है जिसका सम्पूर्ण व्यय निजी चिकित्सालय द्वारा वहन किया जावेगा।
17. इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन द्वारा जारी COVID-19 संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

******

Scanned with CamScanner